<u>अतिआवश्यक</u> तत्काल प्रेषक

> महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन सैक्टर—5, पंचकूला।

सेवा में,

राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, यादी क्रमांक 16/18-2023 GS (3) दिनांक पंचकुला :-- 10.04.2025

विषय:-

शैक्षणिक वर्ष 2025—26 में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन (12) (1) (सी) के प्रावधान अनुसार दाखिले हेतू 25% seat declaration/सरंक्षित करवाने हेतू Online Portal पर समयाविध बढाने बारे।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के <mark>पत्र кw</mark> 16/2-2023 GS (3) दिनांक 28.03.2025 तथा पत्र क्रमांक 16/18-2023 GS (3) दिनांक 02.04.2025, 04.04.2025 तथा 07.04.2025 की निरन्तरता में।

विषयांकित मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य के संचालित प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालय (आर0टी0ई0 नियम 2011 के तहत) को पहली कक्षा / एन्ट्री कक्षा नर्सरी (जैसी भी स्थिति हो) में कुल उपलब्ध सीटों का 25% सीटों पर निम्न कैटेगरी में शामिल बच्चो के दाखिले करवाये जाने है :--

All the private recognized schools will ensure that for Class I or earlier Class wherever applicable will be reserved for 25% of all the seats for the economically weaker and disadvantage groups. Child belonging to weaker sections and disadvangted group means a child belonging to any of the following categories (RTE Act 2011) Part 2F (i), (ii), (iii) & (iv) is as under:

(i) A child of a family covered under the latest list of Below Poverty Line of both rural and urban areas issued and approved by the Government.

(ii) An orphan

- (iii) A HIV affected child.
- (iv) A child with special needs.
- (v) A child of war widow.

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि 25% seat declaration/सरंक्षित हेतू विभाग की आई0टी0 सैल द्वारा पोर्टल दिनांक 28.03.2025 को खोला गया था। अतः अपने क्षेत्राधिकार के हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2025—26 में दाखिले हेतू उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत सीटें declaration/सरंक्षित करवाना सुनिश्चित करने तथा इस सम्बन्ध में आपके जिले से सम्बन्धित सरकारी दो समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में भी प्रकाशित करवाने बारे लिखा गया था। उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत सीटें declaration/सरंक्षित करवाना सुनिश्चित करने बारे अन्तिम तिथि 09.04.2025 रखी गई थी। जिसे बढाकर 11.04.2025 (मध्यरात्रि 12.00 बजे) तक किया गया है तथा प्राईवेट स्कूलो से सम्बन्धित SRN प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाती है।

विभागीय वैबसाईट https://harprathmik.gov.in पर दिए गए लिंक—Regarding declaration/reservation of 25% seats for admission in recognized private schools in the academic year 2025-26 under section 12(1)(C) of RTE Act, 2009 पर अपनी 25 प्रतिशत सीटों का ब्यौरा देना है। पोर्टल पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हैप्ल लाईन न0-0172-5049801 पर सम्पंक किया जा सकता है।

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्वंय निजि रूचि लेकर कार्य पूर्ण करवायें।

Note:-

- Several schools have only partially submitted their seat declaration data, and have not yet submitted their data as 'final'.

  Please note that only applications marked as 'Final Submitted' will be considered. Applications that have not been submitted as final will not be considered.
- 2. Please declare the total number of seats available for each class on the seat declaration portal. The portal will automatically calculate 25% of the seats and display it on the report. For the convenience of the school, the final submitted and declared seats for each class are attached herewith. Please review your seats in the report and make sure they are accurate. If there are any errors, please rectify them immediately by using the Edit/Unlock Option. The deadline for data submission or editing is 11.04.2025 (11:59:59 PM).
- 3. The applicant must carefully check the information before submitting the same. The applicant will be responsible for any mistake committed in the online application form and Department shall not be responsible or liable in any way. Any information submitted by an applicant in the online application will bind the applicant personally and if found to be false, then school shall be liable for cancellation of permission/recognition.

Encl. 1. Districtwise Progress Report

2. Final Submitted with declared seats Report

3. Non-final submitted list.

सहायक निवेशक / सरकारी स्कूल (नॉन सिविल) कृतेः महानिवेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-

दिनांक पंचकूला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है :--

1. संयुक्त निदेशक, आई०टी० सैल को अनुरोध किया जाता है कि 25% seat declaration/सरंक्षित हेतू दिनांक 11.04.2025 रात 12.00 बजे खोलने का कष्ट करें तथा प्राईवेट स्कूलो से सम्बन्धित SRN प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाती है।

> रहायक निदेशक सहायक निदेशक सरकारी स्कूल (नॉन सिविल) कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला